

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

ग्रामीण सेवा शिविर 2025

राजस्व वाद संख्या : 164 / 2025
निर्णय दिनांक : 31.10.2025
जीसीएमएस संख्या- 2025 / 533
दायर दिनांक - 31.10.2025

समुन्द्रसिंह बनाम राजस्थान सरकार

—:निर्णय:—

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 के दौरान यह वाद-पत्र वादी समुन्द्रसिंह पुत्र श्री भैरूराम जाति ढोली निवासी न्यामा द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने के से वाद पत्र की पत्रावली संधारित की गयी।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व रिकॉर्ड में रोही ग्राम न्यामा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 के खाता संख्या 414 में वादी का नाम सुन्दरसिंह दर्ज है। जो गलत है। वादी का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार समुन्द्रसिंह अंकित है। वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

वाद पत्र के साथ शिविर प्रभारी / तहसीलदार सुजानगढ़ की रिपोर्ट संलग्न है। उपतहसीलदार सालासर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपर्युक्त वर्णित राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सुन्दरसिंह दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, भू. अ.नि. की रिपोर्ट के अनुसार वादी का नाम समुन्द्रसिंह है इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किया जाना उचित है।


वाद-पत्र का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, परियच पत्र, पैन कार्ड एवं पासपोर्ट आदि एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की अभिशंभा से वादी का नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध होना सिद्ध होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दावा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादी का नाम निम्नलिखित सारणी में कॉलम संख्या 05 में अंकित अनुसार है जो वादी राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाने का अधिकारी है। तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि जिला चूरु तहसील सुजानगढ़ की संवत् 2076-2079 के राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टि में अंकन निम्नानुसार दुरुस्त किया जाए—



क्रं. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	न्यामा	414	सुन्दरसिंह	समुन्दरसिंह

अन्य सभी प्रविष्टि तथा रहन (यदि हो तो) की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को लिखाया जाकर ग्रामीण सेवा शिविर 2025 में सुनाया गया।


 (ओमप्रकाश वर्मा)
 उपखण्ड अधिकारी
 सुजानगढ़ (चूरु)

डिकरी ब मुकदमें इत्दादाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जब्ता दावानो)
(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत: उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ ग्रामीण सेवा शिविर-2025
अनुवान: समुन्दरसिंह बनाम राज. सरकार
मुकदमा नं0: मुकदमा न0 164 सन 2025
जीसीएमएस नम्बर: 2025/

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरुस्ती

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रु-ब-रु हाजरी श्री ओमप्रकाश घोटिया एड. मिनजानिब मुद्दई .. मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि जिला चूरु तहसील सुजानगढ़ की संवत् 2076-2079 के राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टि में अंकन निम्नानुसार दुरुस्त किया जाए-

क्रं. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	न्यामा	414	सुन्दरसिंह	समुन्दरसिंह

अन्य सभी प्रविष्टि तथा रहन (यदि हो तो) की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे।

चीजमुबलिंग बाबत

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31 माह 10 वर्ष 2025


उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये